प्रतिलिपि पत्र संख्या: 7473/16-10-1533/74 दिनांक: 24 अगस्त, 1977
प्रेषक, श्री ओ०पी० सक्सेना, उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, प्रेषित, स्वास्थ्य सेवा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अनुभाग-10.

विषय:- मुख्य खाद्य निरीक्षक के कर्तव्य एवं दायित्व।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर खाद्य एवं औषधि नियंत्रक के पत्र संख्या: 28-एम/3/75/370, दिनांक 5 मार्च, 1975 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य खाद्य निरीक्षकों के कर्तव्य एवं दायित्व जो शासन द्वारा निर्धारित किए गए हैं की सूची संलग्न है।

चीफ फूड इन्सपेक्टर (मुख्य खाद्य निरीक्षक) के कर्तव्य एवं दायित्व

1- चीफ फूड इन्सपेक्टर जिले के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों के फूड इन्सपेक्टरों के कार्य कलापों का पर्यवेक्षण करेंगे परन्तु नगर स्वास्थ्य अधिकारी, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, प्रा० स्वा० केन्द्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी, अतिरिक्त नगर स्वास्थ्य अधिकारी, मेडिकल आफीसर एन्टी एपीडेमिक आपरेशन्स जो खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अन्तर्गत फूड इन्सपेक्टर हैं, के कार्य के पर्यवेक्षण का अधिकार उन्हें नहीं होगा।

2- चीफ फूड इन्सपेक्टर अपने जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अधीन कार्य करेंगे तथा अपने कार्यकलापों के लिये उन्हें अथवा उनके द्वारा मनोनीत किए गए अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होंगे।

3- चीफ फूड इन्सपेक्टर जिले के भीतर (कवाल नगरों को छोड़कर) खाद्य अपमिश्रण निवारण अभियान का नियोजन, संचालन एवं कार्यान्वयन तथा मुकदमों की पैरवी करने का कार्य मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निदेशानुसार सम्पादित करेंगे। कवाल नगरों में उक्त कार्य मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं नगर स्वास्थ्य अधिकारी के निदेशानुसार सम्पादित किया जायेगा।

4- चीफ फूड इन्सपेक्टर प्रत्येक वर्ष कम से कम 200 खाद्य पदार्थों के नमूने, जिनमें कम से कम 100 नमूने उत्पादकों, बड़े विक्रेताओं के अवश्य लिए जायेंगे, एकत्र करके जाँच के लिये भेजेंगे। इस कार्य के लिये आवश्यक सामग्री एवं धनराशि की व्यवस्था मुख्य चिकित्सा अधिकारी करेंगे।

5- चीफ फूड इन्सपेक्टर अपने जिले में केवल खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अन्तर्गत उक्त कार्यों से ही सम्बन्धित होंगे तथा समस्त जिले में कार्यरत अन्य फूड इन्सपेक्टरों (जिनके नगर महापालिकाओं/नगर पालिकाओं के फूड इन्सपेक्टर शामिल नहीं है) की अपनी सूझ बूझ द्वारा कार्यक्रम को सुचारु एवं सुनियोजित रूप से सम्पादित करने में मार्ग दर्शन प्रदान करेंगे।

6- चीफ फूड इन्सपेक्टर सम्पूर्ण जिले (जिसमें नगर महापालिकाएं/नगर पालिकाएं सम्मिलित है) में खाद्य पदार्थों के एकत्रित किये गये, जाँच किये गये, दूषित पाये गये; अपमिश्रित पाये गये नमूनों के आँकड़ों का विवरण प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी होंगे तथा स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी का दैनिकता से मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भेजे गये नमूनों का लिखित रजिस्टर भी रखेंगे। अपमिश्रित नमूनों के सम्बन्ध में अभियोजन चलाये जाने की कार्यवाही करने का जोखिम भी होगा और इसमें विलम्ब करने वाले फूड इन्सपेक्टरों को अविलम्ब कार्यवाही के लिये प्रेरित करेंगे। वह मुख्य चिकित्सा अधिकारी को इस सम्बन्ध में प्रतिमाह एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेंगे।

7- चीफ फूड इन्सपेक्टर जिले में स्थित समस्त खाद्य पदार्थों के निर्माताओं एवं थोक विक्रेताओं के संस्थानों की सूची रखेंगे तथा वर्ष में एक बार अवश्य निरीक्षण करेंगे तथा उनके यहाँ से कम से कम एक बार नमूने एकत्र करेंगे। वे फुटकर विक्रेताओं से सम्पर्क स्थापित करके तथा अन्य स्रोतों से अपमिश्रण के कुछ स्थानों का पता लगाकर उन पर कार्यवाही करने में सक्षम दल को सहयोग प्रदान करेंगे।

क्रमशः - - - 2 - - - -

8- चीफ फूड इन्सपेक्टर समस्त जिले के खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम से सम्बन्धित सभी स्टेटमेन्ट, आंकड़े, अभिलेखों के रख-रखाव तथा उनसे सम्बन्धित सूचना मुख्य चिकित्सा अधिकारी के आदेशों पर प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी होंगे।

9- चीफ फूड इन्सपेक्टर अपने जिले से सम्बन्धित विधान सभा, विधान परिषद्, लोक सभा एवं राज्य सभा में खाद्य से सम्बन्धित उठाये गये प्रश्नों के उत्तर अथवा अन्य सूचनाएं जिसे स्वास्थ्य सेवा निदेशक अथवा शासन द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, से मांगा गया हो, तो उन्हें (मुख्य चिकित्सा अधिकारी) को उपलब्ध कराने के लिए पूर्णतया जिम्मेदार होंगे।

10- चीफ फूड इन्सपेक्टर प्रत्येक मास मुख्य चिकित्सा अधिकारी के परामर्श से जिले के प्रमुख का कार्यक्रम बनाकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करेंगे तथा कृत कार्यवाही का विवरण उन्हें (मुख्य चिकित्सा अधिकारी को) प्रस्तुत करेंगे।

11- चीफ फूड इन्सपेक्टर का यह भी दायित्व होगा कि वे यह सुनिश्चित करें कि खाद्य अपमिश्रण निवारण निरोधक नियम 9 ए में दिए गए प्राविधानों के अनुसार स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा सम्बन्धित व्यक्तियों को खाद्य सामग्री के नमूनों की जांच के परिणामों से निर्धारित समय के अन्दर अवगत करा दिया गया है।

12- चीफ फूड इन्सपेक्टर खाद्य अपमिश्रण निवारण से सम्बन्धित अन्य कार्यों का सम्पादन मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार करेंगे।

13- लिपिक कार्य के लिये मुख्य चिकित्सा अधिकारी अपने अथवा अपने अधीनस्थ कार्यालयों में से चीफ फूड इन्सपेक्टर की सहायतार्थ एक लिपिक की व्यवस्था करेंगे।

14- शासकीय/स्वास्थ्य सेवा निदेशक के आदेशों के आधार पर या मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देशों पर चीफ फूड इन्सपेक्टर अथवा फूड इन्सपेक्टर (जिनमें नगर महापालिका नगर पालिका के फूड इन्सपेक्टर सम्मिलित नहीं है) को खाद्य अपमिश्रण निवारण सम्बन्धि अन्य कार्यों पर भी लगाया जा सकेगा।

==========